संख्या-524/2025/2234/22-2-2024-17(192)/2016

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 मई, 2025

विषयः- जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मारकण्डेय उर्फ अशोक पुत्र श्री रामबहादुर शाही, निवासी जनपद-महराजगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-38640/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-10.12.2024, दिनांक 18.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मारकण्डेय उर्फ अशोक पुत्र श्री रामबहादुर शाही, बरियापुर, थाना-कोठीभार, जनपद-महराजगंज का निवासी है। दिनांक 15.06.1987 को 18 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, भाला व गड़ासा से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी तथा पीड़ित पक्ष का रू० 8,000/- नगद व घड़ी लूट ली गयी और जीप, राजदूत मोटरसाईकिल, बुलेट मोटरसाईकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-639/1987 में भा०द०वि० की धारा-302/149 427, 148, 379 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट न०-02, गोरखपुर के आदेश दिनांक 05.12.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 06.11.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 25 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 10 माह, 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- सिद्धदोष बन्दी मारकण्डेय उर्फ अशोक पुत्र श्री रामबहादुर शाही की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा बन्दी के द्वारा कारित जघन्य अपराध (04 व्यक्तियों की हत्या) एवं पीडित पक्ष का आर्थिक हानि एवं सामान चोरी किये जाने, बन्दी की पूर्व में शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 2017 द्वारा समयपूर्व रिहाई आदेश निर्गत होने के उपरान्त पीडित पक्ष द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट में मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 28.09.2018 के अनुपालन में पुनः कारागार में निरूद्ध किये जाने के निर्देश के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, महराजगंज में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी मारकण्डेय उर्फ अशोक (बन्दी संख्या-180/2018) पुत्र श्री रामबहादुर शाही, निवासी जनपद-महराजगंज की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-524/2025/2234(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।